पत्रांक /Ref. No.: 1179

दिनांक /Date.: 22.12.2020

## संवाद–76

**विषयः– ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर 'CCC' कम्प्यूटर प्रमाण पत्र की आवश्यकता/अर्हता के संबंध में।**

आयोग द्वारा दिनांक 06 नवम्बर, 2020 को स्नातक स्तर के 13 पदों का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इसमें एक पदनाम–ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है। इसके लिए सेवा नियमावली में निम्न प्रावधान किया गया है :–

**"ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो, तथा वह कम्प्यूटर संचालन में न्यूनतम "सी0सी0सी0" लेबिल का प्रमाणपत्र धारक भी हो"**

समान मामले में तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कम्प्यूटर प्रोग्रॉमर के पद पर अर्हता निर्धारण का आदेश पारित किया गया है जो संलग्न है।

अतः इस निर्णय के अनुरूप इस मामले में भी यह स्पष्ट करना है कि न्यूनतम निर्धारित अर्हता 'CCC' कम्प्यूटर प्रमाण पत्र एक अनिवार्य अर्हता है भले ही अभ्यर्थी उसमें उच्च कम्प्यूटर अर्हता धारक हो। अतः इस विषय को अभ्यर्थियों के लिए तद्नुसार स्पष्ट किया जा रहा है।

आयोग की ओर से,

22/12

(संतोष बडोनी)
सचिव।



राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand
दूरभाष (कार्या0): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वैबसाईट : www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com

उत्तराखण्ड शासन
तकनीकी शिक्षा विभाग
संख्या– 945/XLI-1/2019–67/2019
देहरादूनः दिनांकः 22 जुलाई, 2019

## कार्यालय ज्ञाप

रिट याचिका संख्या–2769/2018 में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा दिनांक 29. 2019 को पारित निर्णय के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं:–

Acordingly, the writ petitions are disposed of with liberty to petitioners to ma representation to secretary, Technical Education, Uttarakhand/respondent no. I Within tv weeks from today. Secretary, Techincal Education, Uttarakhand/ Respondent no. 1 Sh examine the matter and take appropriate decision by passing a speaking order accordance with law, within six weeks from the date of receipt of representatio alongwith certified copy of this order and appropriate order shall be passed by th respondents within two weeks thereafter.

Pending applications (S), If any also stand disposed of.

2– उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम आपरेटर पद हे दिनांक 20.11.2015 को विज्ञप्ति जारी की गई। जारी विज्ञापन में न्यूनतम शैक्षिक अर्हत उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अराजपत्रित प्राविधिक) सेवा नियमावली 2008 के अनुसा अंकित किया गया है तथा आयोग द्वारा विज्ञापन की अंतिम तिथि तक सम्बन्धित अनिवार शैक्षिक योग्यता रखी गयी थी। तद्नुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया।

3–. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक–1491/नि0प्रा0शि0/स्था0–36(08) /2018–19 दिनांक 30.10.2018 द्वारा शासन को प्रेषित पत्र के क्रम में शासन के पत्र सं0–262 /XLI-1/2019-49/2018 दिनांक 01.04.2019 (प्रति संलग्न) द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अराजपत्रित प्राविधिक) सेवानियमावली, 2008 में कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम आपरेटर पद हेतु शैक्षिक अर्हता निम्नानुसार हैं :–

स्नातक तथा कम से कम एक वर्ष भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन या इंजीनियरिंग की किसी शाखा में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा तथा कम से कम एक वर्ष भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन या एम.एस.सी कम्प्यूटर साइंस।

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अराजपत्रित प्राविधिक) सेवानियमावली, 2008 में कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम आपरेटर पद हेतु निर्धारित अर्हता "अनिवार्य अर्हता" है। इस प्रकार कोई अभ्यर्थी यदि उक्त विहित "अनिवार्य अर्हता" से उच्च अर्हता रखता हो, किन्तु "अनिवार्य अर्हता" नही रखता हो, तो वह सेवा नियमावली के अनुसार कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम आपरेटर पद हेतु पात्र नही माना जा सकता है।

UO Letter

4— उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्रांक 1409 दिनांक 23.08.2018 द्वारा हेमन्त कुमार सिंह की कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम आपरेटर पद पर नियुक्ति की संस्तुति की गई निदेशालय द्वारा दिनांक 28.09.2018 को श्री हेमन्त कुमार सिंह का अभिलेख सत्यापन कर गया। निदेशालय द्वारा गठित जांच समिति द्वारा आख्या दी गयी कि कम्प्यूटर कम प्रोग्रामर पद हेतु अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष अभ्यर्थी के पास स्नातक उपाधि के रूप में बी.टेक. इलैक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजी. उत्तीर्ण किया है एवं अभ्यर्थी द्वारा निजी कम्प्यूटर सेन्टर ग्लोबल कम्प्यूटर सोसाईटी नैनीताल द्वारा प्रदत्त एक वर्षीय डिप्लोमा विद ग्रेड ए प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। उक्त एक वर्षीय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र भा सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है अथवा नही, इसकी पुष्टि किया जाना सम्भव नही इनके पास इग्नू द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर उपाधि एम.सी.ए. उपलब्ध है।

5— पुनः दिनांक 20.12.2018 को जांच समिति द्वारा आख्या प्रदान की गयी कि निजी संस्था द्वारा अभ्यर्थी को जारी किये गये एक वर्षीय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम/को भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है अथवा नही, के सम्बन्ध में निदेशालय द्वा प्रेषित पत्रांक 3429 दिनांक 22.10.2018 के अनुक्रम में निजी कम्प्यूटर सेन्टर द ग्लोबल कम्प्यूट सोसाईटी नैनीताल के पत्रांक 06/वेरिफिकेशन/2018—19 दिनांक 12.11.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र एवं अभिलेखों में प्रश्नगत प्रकरण सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही कराये गये है, अपितु संस्थान के उत्तराखण्ड सरकार में समिति के रूप में पंजीकृत होने सम्बन्धी साक्ष्य उपलब्ध है।

उक्तानुसार संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों से यह पुष्टि नही होती है कि अनिवार्य अर्हता एक वर्षीय भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र के सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराया गया एक वर्षीय डिप्लोमा विद ग्रेड ए प्रमाण प्रत्र भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है।

6— श्री हेमन्त कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत एक वर्षीय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है अथवा नही, की पुष्टि हेतु निदेशालय के पत्रांक 4765 दिनांक 28.01.2019 द्वारा श्री हेमन्त कुमार सिंह को एक अवसर और प्रदान किया गया और अवगत कराया गया कि कम्प्यूटर कम प्रोग्रामर पद हेतु अनिवार्य अर्हता कम से कम एक वर्ष भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये पाठ्यक्रम/कोर्स की भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता सम्बन्धी अभिलेख की सत्यापित प्रति 15 दिवस के अन्तर्गत निदेशालय को अनिवार्य रूप से प्राप्त कराना सुनिश्चित कर। श्री हेमन्त कुमार सिंह द्वारा आतिथि तक कोई अभिलेख प्राविधिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध नही कराया गया है।

7— शासनादेश संख्या 262/XLI—1/2019—49/18 दिनांक 01.04.2019 द्वारा निर्देशित कि है कि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अराजपत्रित प्राविधिक) सेवा नियमावली 2008 कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आपरेटर पद हेतु निर्धारित अर्हता अनिवार्य अर्हता है। इस प्रकार कोई अभ्य यदि उक्त विहित "अनिवार्य अर्हता" से उच्च अर्हता रखता है, किन्तु अनिवार्य अर्हता नही रख है, तो वह सेवा नियमावली के अनुसार कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आपरेटर पद हेतु पात्र नही माना सकता है।

8— मा. उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 11853—11854 ऑफ 2018 जा अहमद रैदर एवं अन्य बनाम शेख इम्तियाज अहमद एवं अन्य में दिनांक 05.12.2018 को पारि निर्णय के मुख्य अंश निम्नानुसार है—

We are in respectful agreement with the interpretation which has bee placed on the judgment in **Jyoti KK** in the subsequent decision in **Anita** (supra. The decision in **Jyoti KK** turned on the provisions of Rule10(a)(ii). Absent such a rule, it would not be permissible to draw aninference that a higher qualificatior necessarily pre-supposes the acquisition of another, albeit lower, qualification. The prescription of qualifications for a post is a matter of recruitment policy. The state as the employer is entitled to prescribe the qualifications as a condition of eligibility. It is no part of the role or function of judicial review to expand upon the ambit of the prescribed qualifications. Similarly, equivalence of a qualification is not a matter which can be determined in exercise of the power of judicial review. Whether a particular qualification should or should not be regarded as equivalent is a matter for the state, as the recruiting authority, to determine. The decision in **Jyoti KK** turned on a specific statutory rule under which the holding of a higher qualification could pre suppose the acquisition of a lower qualification. The absence of such a rule in the present case makes a crucial difference to the ultimate outcome. In this view of the matter, the Division Bench of the High Court was justified in reversing the judgment of the learned Single Judge and in coming to the conclusion that the appellants did not meet the prescribed qualifications. We find no error in the decision of the Division Bench.

While prescribing the qualifications for a post, the State, as employer, n legitimately bear in mind several features including the nature of the job, aptitudes requisite for the efficient discharge of duties, the functionality of qualification and the content of the course of studies which leads up to t acquisition of a qualification. The state is entrusted with the authority to asse the needs of its public services. Exigencies of administration, it is trite law, fi within the domain of administrative decision making. The state as a publ employer may well take into account social perspectives that require the creatic of job opportunities across the societal structure. All these are essentially matter of policy. Judicial review must tread warily. That is why the decision in **Jyoti Kl** must be understood in the context of a specific statutory rule under which th holding of a higher qualification which pre supposes the acquisition of a lowe qualification was considered to be sufficient for the post. It was in the context o specific rule that the decision in **Jyoti KK** turned.

Ms Wadia sought to draw sustenance from the fact that the holder of an ITI certification can obtain lateral entry to the diploma course. The point of the matter, however, is that none of the appellants fit the description of candidates who had secured an ITI certification before seeking a lateral entry to a diploma course. Plainly, when an ITI with matric is required, a person who does not hold that qualification is not eligible.

अतः स्पष्ट है कि कम्प्यूटर कम प्रोग्रामर पद हेतु उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग अराजपत्रित सेवा नियमावली, 2008 में निर्धारित विहित अनिवार्य अर्हता धारित न करने वाले यद्यपि उससे उच्च अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थियों को सम्बन्धित पद हेतु पात्र नही माना जा सकता।

9— श्री वीरेन्द्र सिंह धर्मशक्तू की नियुक्ति मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 3523/2017 में दिनांक 17.11.2017 को पारित निर्णय के अधीन निदेशालय के पत्र संख्या 1430—36/नि.प्रा.शि./स्था.नियु.—36(8)/2018—19 दिनांक 18 अक्टूबर 2018 द्वारा की गयी थी। श्री धर्मशक्तू की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018 से पूर्व की है। अतः मा. उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के क्रम में श्री धर्मशक्तू की नियुक्ति के आधार

UO Letter

पर श्री हेमन्त कुमार सिंह को विहित अनिवार्य अर्हता धारित न करने के कारण सम्बन्धित पद पात्र नही माना जा सकता।

8— भारतीय संविधान के अनुच्छेद—16 के अन्तर्गत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान की गई तथा संविधान के अनुच्छेद—14 में व्यक्तियों के बीच अनुचित भेदभाव को रोकने एवं कानून समक्ष समानता प्रदान की गयी है। श्री हेमन्त कुमार सिंह की शैक्षिक अर्हता कम्प्यूटर प्रोग्रामर आपरेटर के पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से उच्चतर योग्यता धारी है। श्री हेम कुमार सिंह के चयन की संस्तुति को मान्य किये जाने से प्रदेश के अन्य समान शैक्षिक योग्य धारी युवा रोजगार के अवसर से वंचित रह जायेंगे, जो संविधान के अनुच्छेद—14 एवं 16 व उल्लंघन होगा।

9— अतः उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अराजपत्रित प्राविधिक) सेवानियमावली—2008 निहित व्यवस्था तथा शासनादेश संख्या 262/XLI—1/2019—49/2018 में लिये गये निर्णय व अनुसार श्री हेमन्त कुमार सिंह दिनांक 20.11.2015 द्वारा विज्ञापित कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम आपरेट पद के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हता धारित न करने के कारण कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम आपरेट पद हेतु नियुक्ति के पात्र नहीं है।

तद्नुसार मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेश दिनांक 29.04.2019 के अनुपालन में श्री हेमन्त कुमार सिंह का प्रत्यावेदन दिनांक 08.05.2019 बलहीन होने के कारण निस्तारित करते हुए निरस्त किया जाता है।

(ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या— /XLI-1/2019—67/2019तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
2— निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर पौड़ी।
3— सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून।
4— श्री हेमन्त कुमार सिंह पुत्र श्री राम चन्द्र सिंह, गली नं- 5, सुभाषनगर, काशीपुर, जिला- अधमसिंह नगर।
5— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

UO Letter

संख्या–262/XII–1/2019–49/

प्रेषक,

हीरा सिंह बसेड़ा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
श्रीनगर, पौड़ी।

तकनीकी शिक्षा विभाग

देहरादूनः दिनांक 01 (शून्य एक) मार्च, 2019

विषयः प्राविधिक शिक्षा विभाग में कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम आपरेटर पद हेतु अनिवार्य तकनीकी अर्हता की व्याख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1491/नि.प्रा.शि./स्था.–36(08)/2018–19 दिनांक 30.10.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्राविधिक शिक्षा विभाग में कम्प्यूटर प्रोग्रामर कम आपरेटर पद हेतु अनिवार्य तकनीकी अर्हता की व्याख्या किये जाने का अनुरोध किया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा विभाग (अराजपत्रित प्राविधिक) सेवा नियमावली, 2008" में कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आपरेटर पद हेतु निर्धारित अर्हता 'अनिवार्य अर्हता' है। इस प्रकार कोई अभ्यर्थी यदि उक्त विहित 'अनिवार्य अर्हता' से उच्च अर्हता रखता हो, परन्तु 'अनिवार्य अर्हता' नही रखता हो, तो वह सेवा नियमावली के अनुसार कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आपरेटर पद हेतु पात्र नहीं माना जा सकता है।

कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव।

Establishment letter